पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार

भारत सरकार से संपर्क कर उर्वरक आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है

किसानों को 'भारत यूरिया' जैसे नामों से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, सभी उर्वरक समान गुणवत्ता वाले हैं

जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है

किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक मिलेंगे

खरीफ सीजन में किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित – कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही

लखनऊ : 28 अगस्त, 2025

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों को गतवर्ष की भाँति वर्तमान खरीफ सीजन में फसलों की बुवाई/रोपाई उपरान्त फसल संस्तुति के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु पूरी तरह कटिबद्ध है। इस उद्देश्य से प्रदेश सरकार भारत सरकार से निरंतर सम्पर्क बनाकर आवश्यक कार्यवाही कर रही है, जिससे उर्वरक आपूर्ति की प्रक्रिया सुचारू रूप से गतिशील बनी रहे।

कृषि मंत्री ने बताया कि 01 अगस्त से 26 अगस्त 2025 तक भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए 301 यूरिया रैक डिस्पैच की गई है, जिसमें से 267 रैक जनपदों तक पहुँच चुकी हैं तथा 34 रैक रास्ते में हैं, जो अगले 2–3 दिनों में अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगी। वर्तमान में किसानों की दैनिक आवश्यकता के अनुरूप प्रतिदिन 10 से 12 रैक भेजी जा रही हैं। 27 व 28 अगस्त को ही भारत सरकार द्वारा 18 रैक यूरिया प्रदेश के विभिन्न जनपदों–बस्ती, अलीगढ़, मऊ, अयोध्या, झांसी, जालौन, सुलतानपुर, शाहजहाँपुर, कानपुर, बाराबंकी, बरेली, मुरादाबाद, हरदोई, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं बदायूँ हेतु डिस्पैच की गई हैं।

कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि उन्हें प्रदेश में उपलब्ध उर्वरक बोरियों पर "भारत यूरिया" अथवा "भारत डीएपी" जैसे नामों में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सभी उर्वरक एक समान गुणवत्ता वाले हैं, अतः एक ही ब्रांड को प्राथमिकता न दें और अपने नजदीकी विक्रय केंद्र से सुगमता से उर्वरक प्राप्त कर फसलों की रोपाई व टॉप–ड्रेसिंग के अनुसार उपयोग करें। साथ ही, भविष्य की फसलों हेतु अनावश्यक भण्डारण न करें, ताकि सभी किसानों को समय पर आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध हो सके।

प्रदेश के सहकारिता एवं निजी क्षेत्र में 27 अगस्त तक उर्वरकों की मण्डलवार उपलब्धता 5,64,865 मी.टन यूरिया, 4,07,792 मी.टन डीएपी और 3,03,446 मी.टन एनपीके दर्ज की गई है।

सूर्य प्रताप शाही ने स्पष्ट किया कि उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी, ओवररेटिंग व टैगिंग पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। वर्ष 2025–26 में अब तक 12,653 छापे, 3,385 नमूना ग्रहण, 1,047 नमूना विश्लेषण, 35 अमानक नमूने चिन्हित किए गए हैं। इस दौरान 571 लाइसेंस निलंबित, 1,196 लाइसेंस निरस्त, 122 चेतावनी जारी, 15 दुकानों की बिक्री प्रतिबंधित, 12 दुकानें सील की गईं तथा 111 एफआईआर दर्ज कर 11 आरोपियों को जेल भेजा गया है।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को केवल निर्धारित मूल्य (MRP) पर ही उर्वरक उपलब्ध होंगे और टैगिंग या ओवररेटिंग करने वाले होलसेलर व कंपनियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

सम्पर्क सूत्र– डॉ0 मनोज चन्द्रा

राम यतन/07:00 **PM**

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in